


उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला तहसील आवेदन क्र॰ प्रमाणपत्र क्र॰ संत कबीर नगर खलीलाबाद 181860030060315 562183013374

जारी दिनांक: 26/07/2018



श्री महेश प्रताप सिंह श्री रामनरायन सिंह श्रीमती सुधा सिंह ,पो0 बडगो बड़गो खलीलाबाद संत कबीर नगर



उत्तर प्रदेश राज्य की कुर्मी-सैथवार जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेश प्रताप सिंह पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा)अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एंव जो उ०प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-Ш, दिनाँक २० अक्टुबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से

आच्छादित नहीं है।इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ मे यथा विहिष छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है ।



सना कवीर नगर

जारी कर्ता केन्द्र: रमेश कुमार, सहज जन सेवा केंद्र

पदः रमेश कुमार, केन्द्र प्रभारी

स्थान:

PACKWALIYA,खलीलाबाद,PACKWALIYA,बघौली,संत

कबीर नगर

दिनॉक: 04/08/2018

हस्ताक्षर एंब मुहर

SHASHANK Digitally Signed SHEKHAR RAI SHEKHAR RAI SHEKHAR RAI SHEKHAR RAI PRADESH

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार डिजिटल हस्ताक्षरित खलीलाबाद,संत कबीर नगर दिनॉक:26/07/2018

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक ढिलिवरी सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है। सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेवसाइट http://edistrict.up.nic.in पर इसका पहले आवेदन क्र० फिर प्रमाणपत्र क्र० अंकित कर,सत्यापित किया जा सकता है।